

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

4 JUN 2014

क्रमांक प. 1(205)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(3)एमई/ग्रुप-1/87 दिनांक 11.9.2013 के द्वारा डॉ. विनिता शर्मा को सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में किया गया था। उक्त आदेश, डॉ. विनिता शर्मा को इनके द्वारा आयोग को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वर्णित पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है।

इस आदेश की पालना में डॉ. विनिता शर्मा को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी। आदेश जारी करने की दिनांक 11.09.2013 से आठ माह से अधिक का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन डॉ. शर्मा के द्वारा पदस्थापन स्थान पर आदिनांक तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है।

उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. विनिता शर्मा अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

उपरोक्त आदेश की पालना में डॉ. विनिता शर्मा के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. विनिता शर्मा के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 11.09.2013 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


6

(धन्नालाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(3)एमई/ग्रुप-1/87 दिनांक 11.9.2013 के संदर्भ में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डा. विनिता शर्मा, बी-205, जनता कोलोनी, पानी की टंकी के पास, जयपुर। (रजिस्टर्ड डाक से)
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, ए.पी. को वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव